

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

(7)

क्रमांक: एफ-53/01/12/यो/19 2448 भोपाल दिनांक 24/11/12

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता (सतु)
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग
4. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग

सामान्य

विषय:- पुलों एवं आर0ओ0बी0 कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित करने के संबंध में।

-0-

योग्यता


27

31

40

45

उक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेशों/निर्देशों को अधिकमित करते हुए अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग में पुलों एवं आर0ओ0बी0 के कार्यों की निविदाएँ टेकेदार के डिजाइन कन्सलटेंट से स्ट्रक्चरल डिजाइन प्राप्त कर उसका अनुमोदन विभाग द्वारा करने की विशेष शर्त समेत प्रतिशत दर आधारित फार्म 'ए' पर आमंत्रित की जाये तथा भविष्य में पुलों/आर0ओ0बी0 के कार्यों की निविदाएँ विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही एकमुश्त दर पर आधारित फार्म 'एफ' पर आमंत्रित की जावें।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)
24.11.12
(आर0 के0 मेहरा)
अपर सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक: एफ-53/01/12/यो/19 2448 भोपाल दिनांक 25/11/12

प्रतिलिपि:-

निज सचिव, मान0 मंत्रीजी म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।

(Signature)
24.11.12
अपर सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

Patil/85

समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग
भोपाल